(२४१)

भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

G20

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना

सरकार बनाम अमर सिंह

किस्मः– एफएसएसए एक्ट; नमूना कोडः– जी–1846 मुकदमा नम्बरः– 71/2023

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(।।)
एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांकः–26.09.2023

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री अमर सिंह पुत्र श्री हनुमान प्रसाद कुमावत एफ.बी.ओ. मैसर्स अजय स्वीट्स हाउस हनुमान गली, खेतड़ी जिला झुंझुनू हाल जिला नीम का थाना उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.10.2021 को समय 01:30 पी.एम. पर मैसर्स अजय स्वीट्स हाउस, हनुमान गली, खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अमर सिंह पुत्र श्री हनुमान प्रसाद कुमावत उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का विक्रेता होना बताया। वहां पर विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पुछा तो उसने अपना नाम अमर सिंह होना बताया। उक्त फर्म का खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहां तो खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

फर्म अजय स्वीट्स हाउस हनुमान गली, खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना पर विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ बुंदी लड्डू (खाद्य रंग व वनस्पती से निर्मित) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे, में मिलावट की शंका होने पर फर्म पर उपलब्ध स्टोक 6 एल्युमिनियम की ट्रे में करीबन 30 किलोग्राम बुंदी लड्डू (खाद्य रंग व वनस्पती से निर्मित) में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 02 किलोग्राम बुंदी लड्डू (खाद्य रंग व वनस्पती से निर्मित) जाँच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 280 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर **जी–1846** खाद्य पदार्थ बुंदी लड्डू (खाद्य रंग व वनस्पती से निर्मित) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट संख्या एलएस/3011/एक्ट/2022/3102 दिनांक 31.10.2022 डी.ओ.व सीएमएचओ झुंझुनू के जरिये नमूना अनसेफ होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट से विक्रेता संतुष्ट नहीं था अतः विक्रेता ने पुनः जाँच हेतु आवेदन किया। अतः उक्त खाद्य पदार्थ बुंदी लड्डू (खाद्य रंग व वनस्पती से निर्मित) के नमूने की पुनः जांच Referral Food Lebrotary Pune की रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना अमानक स्तर का होना पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ बुंदी लड्डू (खाद्य रंग व वनस्पती से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:09:33 IST
Reason: SelfAttested

गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 31,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आदेश आज दिनांक 26.09.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:09:33 IST
Reason: SelfAttested